

उत्तर क्रं 73/17  
14.12.17

## न्यायालय उप खण्ड अधिकारी करौली

प्रार्थना पत्र नक्शा शीट में तरमीम करने बाबत

14.12.2017

यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार करौली ने अपने पत्र क्रमांक/एल. आर/17/4824 दिनांक 13.12.2017 से इस आशय का प्रस्तुत किया है। कि प्रार्थना पत्र आई.एल.आर महोली व पटवारी हल्का चैनपुर वर्रिया की रिपोर्ट व आवेदन के आधार पर खसरा नम्बर 410/3,410/4,410/5 की तरमीम की जानी है। किन्तु खसरा नम्बर 410/3 रकवा 5 वीधा किस्म गैरमुमकिन स्कूल के आवंटन आदेश में जो प्रस्तावित तरमीम है वह खसरा नम्बर 410/4 रकवा 3 वीधा गै.मु.आवादी के आवंटन के खसरा नम्बर 410/5 रकवा 6 वीधा 10 विस्वा किस्म गै.मु.पहाड जो खनिज विभाग की लीज में ब्लू प्रिन्ट में अंकित है। कि तरमीम लठठा शीट में करने पर आपस में खसरा नम्बर 410/3,410/4 की तरमीम खसरा नम्बर 410/5 से टकराती है। इस कारण उक्त नम्बरो की तरमीम प्रस्तावित नक्शा शीट दिनांक 13.12.2017 के अनुसार संशोधित किये जाने की अभिशंषा की है। पत्र के साथ प्रस्तुत प्रस्तावित नक्शा शीट व जमाबंदी सम्बत 2073 से 76 का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रस्तावित नक्शा शीट से खसरा नम्बर 410/3,410/4,410/5 की तरमीम नक्शा शीट में संशोधित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर खसरा नम्बर 410/3,410/4,410/5 ग्राम वर्रिया की तरमीम राजस्व नक्शा शीट में प्रस्तावित नक्शा शीट दिनांक 13.12.2017 के अनुसार किये जाने के तहसीलदार करौली को आदेश दिया जाता है। तहसीलदार करौली आदेश की प्रति के साथ तहरीर पालना के लिए भिजवाई जावे। आदेश लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी  
करौली